फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चेतनकुमार **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 119/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प पलानाकलां में पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में चतरलाल पिता रामा डांगी दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम चेतनकुमार पिता रामा डांगी है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया जिसमें चतरलाल व चेतनकुमार को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। वादी द्वारा अपनी पहचान स्वरूप मतदाता पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किये जिनमें सभी में वादी का नाम चेतनकुमार पिता रामा दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली के अनुसार चतरलाल व चेतनकुमार एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 1600, 1601, 1603, 1609 से 1616, 1627, 1636, 1637, 1639, 3441/1594 किता 16 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी का नाम चतरलाल पिता रामा के बजाय चतरलाल उर्फ चेतनकुमार पिता रामा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री चेतनकुमार पिता रामा पटेल निवासी पलानाकलां तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का पलानाकलां तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 119/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00260

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 1600, 1601, 1603, 1609 से 1616, 1627, 1636, 1637, 1639, 3441/1594 किता 16 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी का नाम चतरलाल पिता रामा के बजाय चतरलाल उर्फ चेतनकुमार पिता रामा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested